

-

15-03-18

7

वकील अपी. या खम अपीलान्ट कोई उपलब्ध
नहीं है। अपी. को बार-बार आवाज
दिलाई गई। अपीलान्ट की ओर कोई
उपलब्ध नहीं आया। अतः अपील अपीलान्ट
अदम हाजरी, अदम करवी एवं अदम तकमील
में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर बाद तकमील जाता यादिल दफ़्तर रहे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर